उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-172/2017/3075/26-3-2017-10(31)/2016

लखनऊः दिनांकः 08 नवम्बर 2017

<u>शुद्धि-पत्र</u>

निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-1117-18 /स.क./विकास/छात्रावास/2016-17, दिनांक-24.10.2016, पत्र संख्या-597-98/स.क./आ0प0वि0-प्रकोष्ठ(42)/(गोण्डा-अनुरक्षण)/2017-18, दिनांक-25.07 2017 एवं पत्र संख्या-587-88/स.क./विकास/ए.टी.एस.-मरम्मत/2016-17, दिनांक-09.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-150/2017/2061/26-3-2017-10(31)/2016, दिनांक-20.09.2017 द्वारा जनपद-बस्ती, गोण्डा एवं बलिया में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के भवन मरम्मत कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रूपया-127.36 लाख धनराशि (रूपया एक करोड़ सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश संख्या-150//2017/2061/26-3-2017-10(31)/2016, दिनांक-20.09.2017 में क्रमांक-2 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (नया) सिविल लाइन बस्ती में प्रस्तावित लागत रूपया-18.76 लाख (रूपया अट्ठारह लाख छिहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रूपया-21.25 लाख (रूपया इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र) के स्थान पर संशोधित कर धनराशि रूपया-18.76 लाख (रूपया अट्ठारह लाख छिहत्तर हजार मात्र) किया जाता है, क्रमांक-4 पर राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (वभनान) बस्ती में प्रस्तावित लागत रूपया-52.44 लाख (रूपया बावन लाख चौवालिस हजार मात्र) के स्थान पर संशोधित कर रूपया-52.54 लाख (रूपया बावन लाख चौवन हजार मात्र) किया जाता है तथा क्रमांक-4 पर राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (वभनान) बस्ती में प्रस्तावित लागत रूपया-52.54 लाख (रूपया बावन लाख चौवन हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रूपया-21.25 लाख (रूपया इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के स्थान पर संशोधित कर धनराशि रूपया-23.74 लाख (रूपया तेईस लाख चौहत्तर हजार मात्र) किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक-20.09.2017 में अंकित अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

कामता प्रसाद
उपसचिव

संख्या-172/2017/3075(1)/26-3-2017तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
5- जिलाधिकारी, बस्ती, गोण्डा एवं बलिया।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
10- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।
11- निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
12-जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती, गोण्डा एवं बलिया।
13-गार्डफाइल

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in